ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री तेज राम	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति चंद्रकांता	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री नरोतम राम	01.04.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.77
2	5	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.39
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	11.38
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.27
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	2.33
6	9	RCC पाईप के क्रय में अधिक भुगतान करना	0.09

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.12.17 से 22.12.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	01/2015	10/2014
2015-16	03/2016	01/2016
2016-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 22.12.17 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत नाऊ, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत नाऊ, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	130914	42989	173903	17821	156082
2015-16	156082	14104	170186	15714	154472
2016-17	154472	68841	223313	14112	209201

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत नाऊ, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	410651	2018747	2429398	2225295	204103

2015-16	204103	2213900	2418003	1722059	695944
2016-17	695944	2582104.81	3278048.81	2140024	1138024.81

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹209201

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1138024.81

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1347225.81

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1423696.81

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹910

योग (1424606.81-1347225.81) ₹1424606.81

अन्तर की राशि : ₹77381

बैंक खाता संख्या	राशि
31810103104	1084745.81
8670	104991
8442	1216
8439	59634
3838	6091
8446	100405
8443	904
8441	65710
8444	0
कुल राशि	**1423696.81**

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0 . 77 लाख का भारी अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत दवारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹**77381 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक

20.12.17 **द्वारा** स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नही किया गया | अत: मिलान करके अनुपालना से अवगत कराया जाये |

5 पंचायत राजस्व ₹0.39 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को निम्न विवरणानुसार गृहकर के रूप में ₹38680 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	2080	24550	26630	21650	4980
2015-16	4980	24550	29530	400	29130
2016-17	29130	24550	53680	15000	38680

6 अनुदान ₹11.38 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1138024 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.27 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 **द्वारा** स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-**4** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹527543** के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹2.33 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत

द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत **द्वारा ₹233540** की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 RCC पाईप के क्रय में ₹0.09 लाख का अधिक भुगतानः-

चयनित मास 03/17 के वाउचर सं-32 की जांच करने पर पाया गया कि बिल सं-2118 dt. 28-02-17 **द्वारा** RCC पाईप (NP[2] 250 MM), ₹950/-(+ 5% वैट) प्रति पाईप की दर से मैसर्स हिमाचल स्पम पाइप इंडस्ट्री से, 60 पाइपें खरीदी गई, जबकि इस क्रय के लिए मैसर्स चामुंडा स्पम पाइप इंडस्ट्री से ₹800 (+5%वैट) प्रति पाइप की दर से भी भाव दरें प्राप्त की गई थी, अत: मैसर्स चामुंडा पाइप इंडस्ट्री के स्थान पर मैसर्स हिमाचल स्पम पाइप इंडस्ट्री से क्रय करने से, उन्हें निम्न विवरणानुसार, ₹9450 का अधिक भुगतान किया गया, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बंधित से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाये तथा इस बारे की गई कारवाई से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

वो. सं./माह	विवरण	बिल स./dt.	भुगतान की गयी राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
32 माह 03/17	60 पाइपों (250MM NP[2]) का क्रय	2118 dt. 28-02-17	57000+ (5% वैट)=59850	48000+ (5% वैट)= 50400	9450

10 मजदूरी के रूप में ₹400 का अधिक भुगतानः-

चयनित मास 03/2107 के वाउचर संख्या 39 की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 027729 के अंतर्गत कुल 47 कार्य दिवस के स्थान पर 49 कार्य दिवस के लिए भुगतान करने के कारण 2 दिनों का ₹200 प्रति दिन की दर से कुल ₹400 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बंधित से करके पंचायत निधि में जमा कराई जाये तथा इस बारे की गई कारवाई से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

11 खाता बहियाँ तैयार न करना :-

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी, जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

12 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।

13 **प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 **निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(xi) 50 / 2018 खण्ड–1–2824–2827 दिनांक 24.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में

वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत नाऊ, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881